

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आईओएसओ

प्रकरण संख्या - 144/2019 (Bank Case)

कॉर्पोरेशन बैंक, 390, शॉपिंग सेंटर, घोडेवाले बाबा चौराहा, कोटा-324007

- प्रार्थी

बनाम

1. श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री डमरू प्रसाद शर्मा
(ऋणी / बंधककर्ता)
पता-जी-8, साबरमती कोलोनी, कोटा-324007, राजस्थान
2. श्री डमरू प्रसाद शर्मा पुत्र श्री किशन शर्मा
पता-जी-8, साबरमती कोलोनी, कोटा-324007, राजस्थान
3. श्री राहुल बंसल पुत्र श्री सी के बंसल
पता- सी-2, आर एच पी कोलोनी, वल्लभ बारी, कोटा-324006,
राजस्थान

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट 2002 (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री कुलदीप सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 17.12.2019


संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि कॉर्पोरेशन बैंक, 390, शॉपिंग सेंटर, घोडेवाले बाबा चौराहा, कोटा राजस्थान में स्थित हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 10.12.2012 को रूपये 8,00,000/- (अक्षरे: रूपये आठ लाख मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति मकान नं0 ग-8, साबरमती कालोनी, कोटा (क्षेत्रफल 1247.50 वर्ग फीट) स्वामित्व श्री डमरू प्रसाद शर्मा को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 08.07.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खातों मे 3,54,960 /-(अक्षरे तीन लाख चौवन हजार नौ सो साठ रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 09.10.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 09.10.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुनर्भुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा


प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी दिनांक 09.10.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 09.10.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी / बंधककर्ता अचल सम्पत्ति मकान नं0 ग-8, साबरमती कालोनी, कोटा (क्षेत्रफल 1247.50 वर्ग फीट) स्वामित्व श्री डमरू प्रसाद शर्मा का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 17.12.2019 को सुनाया गया ।




(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा